न्यायालय सहायक क्लैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 461/2024
वाद पत्र अ.धाराः– 88, आर,टी.ए.

1. जगवीर सिह पुत्र श्री तरसेमसिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील–संगरिया जिला– हनुमानगढ़(राज0)

–वादी

बनाम्

1. तरसेम सिह पुत्र श्री करनैल सिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील–संगरिया जिला– हनुमानगढ़(राज0)
2. रीना पुत्री श्री तरसेमसिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील–संगरिया जिला– हनुमानगढ़(राज0)
3. सुखप्रीतकौर पुत्री श्री तरसेमसिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील–संगरिया जिला– हनुमानगढ़(राज0)
4. तहसीलदार राजस्व तहसील संगरिया, जिला–हनुमानगढ़(राज0)

–– प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. *श्री सुनील कुमार टाण्डी – वकिल वादीगण*
2. *श्री प्रदीप जाखड – वकिल प्रतिवादी सं. 1*

दिनांक :– 6-9-2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku Meena
Date: 2024.09.11 17:07:07 IS
Reason: SelfAttested

निर्णय

वादी जगवीर सिह ने प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के [illegible] राजस्व वाद बा[illegible] घोषणा के तहत दिनांक 08.08.2024 को इस [illegible] पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण का पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता [illegible] आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो कि वाद शीर्षक में अंकित किया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं0:– 01 ता 3 आपस में संयुक्त परिवार के सदस्य

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

है। प्रतिवादी सं0:–01 वादी व प्रति.सख्या 2 ता 3 के पिता है। प्रतिवादी सं. 02 व 03 वादी कि सगी बहिन है। प्रति.सं. 01 तरसेमसिह के नाम से तहसील संगरिया के चक नं0:–02 एस0टी0पी0 कि जमाबन्दी सम्वंत 2070–73 के खाता सं0– 60/44 मे 2.657 हैक्ट कृषि भुमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिनकी जमाबन्दी संलग्न वाद –पत्र है। जो वादपत्र का आधार है। प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण के पिता है। जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वाद पत्र की चरण सं0:–02 में वर्णित कृषि भुमि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारनामा आपसी सहमति व रिश्तेदारों ने करवा दिया है। उक्त बंटवारनामा के रोज से ही वादी व प्रतिवादीगण बंटवारनामा में प्राप्त कृषि भुमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि मे जो भी विरासतन हक व हिस्सा बनता था उसको अपने पास नही रखना चाहते है इसलिए अपने उक्त हक व हिस्सा का त्याग मौखीक रूप से अपने पुत्र /भाई वादी के पक्ष मे कर दिया है। कब्जा बाबत् आपस में कोई विवाद नही है, उक्त कृषि भुमि में इस प्रकार वादीगण को घरू बंटवारनामा में निम्नलिखित कृषि भुमि प्राप्त हुई है: वादी के हक व हिस्सा में चक नं0:–02 एस0टी0पी0 कि जमाबन्दी सम्वंत 2070–73 के खाता सं0– 60/44 मे 1.265 हैक्ट कृषि भूमि प्राप्त हुई है। वादी व प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भुमि में जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। उक्त कृषि भूमि वादी व प्रति.संख्या 2 व 3 के दादा एव प्रतिवादी सं0–1 के पिता श्री करनैलसिह से विरासतन में प्राप्त हुई है जिसका वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में घरू बंटवारनामा कर लिया है, उक्त बंटवारनामा के अनुसार ही वादी वाद पत्र की चरण सं0–04 में वर्णित कृषि भुमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहें है। परन्तु उक्त कृषि भुमि वादी व प्रति.सं. 2 व 3 के पिता एव प्रतिवादी सं. 1 श्री तरसेम सिह के नाम होने के कारण वादी के हक व हकूक पर बूरा प्रभाव पड़ रहा है तथा सदैव झगड़ा होने का अन्देशा बना रहता है, इसी कारण वादी उक्त कृषि भुमि का राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की घोषणा करवाना चाहता है। वादी को उक्त कृषि भुमि अपने दादा श्री करनैलसिह से विरास्तन में प्राप्त हुई जिसमें वादी का जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनता है तथा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारनामा हो चुका है व उसी के मुताबिक वादी काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि वादी के पिता श्री तरसेम सिह के नाम होने के कारण वादी को भारी परेशानीयों का सामना करना पड रहा है, इसलिये वादी अपने नाम की घोषणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.11 17:07:07 IST
Reason: SelfAttested

मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

करवाने के हक मुस्त हक व दावेदार है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से वाद–पत्र की चरण सं0ः–04 में वर्णित तथ्य अनुसार कृषि भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटौल करते रहे परन्तु कल उन्होने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, बस यही वाद कारण है। वादी को उक्त कृषि भूमि का घरू बंटवारनामा व कब्जा काश्त के मुताबिक वादी को खातेदार काश्तकार घोषित नही किया गया तो वादी को कभी भी पूरा न होने वाला नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में नही आंकी जा सकती है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है। प्रति सं0–ः04 को लैण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है, उनसे सीधे रूप से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है लिहाजा वाद वादी पेश कर अर्ज है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावेः–(क)–कि इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि वादी को वाद पत्र की चरण सं0–04 के अनुसार वादी को चक नं0ः–02 एस0टी0पी0 कि जमाबन्दी सम्वंत 2070–73 के खाता सं0– 60/44 मे 1.265 *हैक्ट* कृषि भुमि का .खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के पिता प्रतिवादी सं.01 तरसेमसिह का हिस्सा कम किया जाकर वादी का नाम का नाम अंकित किया जावे।

उक्त तथ्यो के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन पत्र तलब किया गया। प्रति. सं. 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया प्रतिवादी सं. 4 तहसीलदार राजस्व संगरिया का जबाव दावा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया । प्रकरण में राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही है। वकिल वादी को साक्ष्य हेतु अवसर दिया गया साक्ष्य वादी में वादी ने शपथ पत्र अ.आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया शामिल पत्रावली किया गया व वकिल वादी शेष साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते है इसलिए साक्षी वादी बन्द किया जाकर प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रतिवादी हेतु अवसर दिया गया वकिल प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.11 17:07
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

बहस वकिल उभयपक्ष सुनी गई। वकिल वादी ने वाद पत्र कथनो को दोहराते हुए वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया बहस मे वकिल प्रतिवादीगण द्वारा वकिल वादी के कथनो का विरोध नही करते हुए वाद डिकी करने हेतु सहमति जताई

दस्तावेजो का गहराई से अधयन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया वकिल प्रतिवादीगण द्वारा वकिल वादी के कथनो का विरोध नही किया प्रति. सं. 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता हाजीर अदालत आकर राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। पक्षकरान के मध्य कोई विवाद नही है। प्रशनगत भूमि विरास्तन भूमि है। इसलिए वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

कियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर डिकी किया जाता है। :-कि वादी के पिता प्रति.सं. 01 तरसेमसिह के नाम दर्ज चक नं0:-02 एस0टी0पी0 कि जमाबन्दी सम्वंत 2070-73 के खाता सं0- 60/44 मे 1.265 *हैक्ट* कृषि भुमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के पिता प्रतिवादी सं. 01 तरसेमसिह का हिस्सा उसी अनुसार कम किया जाकर वादी का नाम अंकित किया जाता है। पर्चा डिकी अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकरान अपना अपना अलग वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 6/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एव उपखण्ड
अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.11 17:07:07
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रकिया संहिता

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.ः– 461/2024

वाद पत्र अ0 धारा 88, आर.टी.ए.

1. जगवीर सिह पुत्र श्री तरसेमसिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील–संगरिया जिला– हनुमानगढ़(राज0)

–वादी

बनाम्

1. तरसेम सिह पुत्र श्री करनैल सिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील–संगरिया जिला– हनुमानगढ़(राज0)
2. रीना पुत्री श्री तरसेमसिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील–संगरिया जिला– हनुमानगढ़(राज0)
3. सुखप्रीतकौर पुत्री श्री तरसेमसिह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील–संगरिया जिला– हनुमानगढ़(राज0)
4. तहसीलदार राजस्व तहसील संगरिया, जिला–हनुमानगढ़(राज0)

–– प्रतिवादीगण

दिनांकः 6-9-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलैक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, संगरिया, के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुनील कुमार टांडी वकिल वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री प्रदीप जाखड वकिल प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 व [illegible] संगरिया मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है इस आश्य कि घोषणा फरमाई जाती है कि वादी को वाद पत्र की चरण संख्या 4 के अनुसार वादी को चक नं. 2 एस0टी0पी0 खाता सख्या 60/44 ज.स. 2070–73 में 1.265 हैक्ट कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त खाते मे वादी के पिता प्रति.सं. 1 तरसेम सिह हिस्सा उसी के अनुसार कम किया जाकर वादी का नाम अंकित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करेगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rak
Meena
Date: 2024.09.11 17:07
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

. ;–रकबा रहनमुक्त होने के पश्चात डिकी का अमल दरामंद कर दिया जावें ।

ग......X...निल...X....मुब्लिक...X...निल.....X बाबत.....X....निल....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह

सदी सालाना आज की तारिख वसूलयाबी तक...X....अदा करे।

सब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 6.9.2024 जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड

अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.11 17:07:07
Reason: SelfAttested